

THE REPATRIATION OF PRISONERS ACT, 2003

Contents

- | | |
|---|--|
| 1. Short title and commencement | 10. Transfer of record |
| 2. Definitions | 11. Power of court and Central Government shall not be affected |
| 3. Application of Act | 12. Transfer into India |
| 4. Application for transfer by a prisoner | 13. Determination of prison and issue of warrant for receiving transfer in India |
| 5. Consideration of request by Central Government | 14. Power to make rules |
| 6. Comments of contracting State | 15. Laying of rules, etc. |
| 7. Consideration of request by Central Government | 16. Power to remove difficulties |
| 8. Provision to issue warrant for transfer | |
| 9. Operation of warrant and retaking prisoner | |

THE REPATRIATION OF PRISONERS ACT, 2003

(Act No. 49 of 2003)

[28th Sep., 2003]

An Act to provide for the transfer of certain prisoners from India to country or place outside India and reception in India of certain prisoners from country or place outside India.

Be it enacted by Praliament in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Repatriation of Prisoners Act, 2003.

(2) It shall come into force on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "**contracting State**" means a Government of any country or place outside India in respect of which arrangement has been made by the Central Government with the Government of such country or place through a treaty or otherwise for transfer of prisoners from India to such country or place and *vice versa* and includes any other Government of such country or place specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette, under sub-section (1) of section 3;

1. Came into force on 1.1.2004, vide S.O. 1464(E), dated 24.12.2003.

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) अधिनियम, 2003

विषय-सूची

- | | |
|---|---|
| 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं लागू होना | 10. अभिलेख का हस्तांतरण |
| 2. परिभाषाएँ | 11. न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की शक्ति का प्रभावित न होना |
| 3. अधिनियम का लागू होना | 12. भारत में स्थानांतरण |
| 4. बंदी (कैदी) द्वारा स्थानांतरण के लिये प्रार्थना पत्र | 13. जेल (कारागार) का विनिश्चय और भारत में स्थानांतरण स्वीकार करने के लिये प्राधिकार (वारंट) का जारी किया जाना |
| 5. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रार्थना पर विचार | 14. नियम बनाने की शक्ति |
| 6. संविदा संस्कार की टिप्पणी | 15. नियमों इत्यादि का रखा जाना |
| 7. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रार्थना पर विचार | 16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति |
| 8. स्थानांतरण के लिये प्राधिकार (वारंट) जारी करने का प्रावधान | |
| 9. प्राधिकार (वारंट) का प्रचालन तथा बंदी को वापस लेना | |

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) अधिनियम, 2003

(49 आफ 2003)

(28 सितम्बर, 2003)

कतिपय बंदियों (कैदियों) को भारत से भारत के बाहर के देश या स्थान में स्थानांतरित करने तथा कतिपय बंदियों (कैदियों) को भारत के बाहर के देश या स्थान से भारत में प्राप्त करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया गया-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं लागू होना- (1) यह अधिनियम बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी दिनांक¹ को प्रभाव में आयेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा विनिश्चित किया जावे।

2. परिभाषाएँ- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

- (क) **संविदा राज्य** से तात्पर्य है भारत के बाहर के किसी देश या स्थान की सरकार जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार से संधि या अन्यथा के माध्यम से, भारत से ऐसे देश या स्थान को तथा विपर्ययन (ठीक उल्टा) बंदियों (कैदियों) के स्थानांतरण या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिये व्यवस्था की हुई है और इसमें ऐसे देश या स्थान की ऐसी अन्य सरकार भी सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार ने धारा 3 की उपधारा (1) के शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट की हुई है;

1. Came into force on 1.1.2004, vide S.O. 1464(E), dated 24.12.2003.

- (b) "*prescribed*" means prescribed by rules made under this Act;
- (c) "*prisoners*" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in contracting States;
- (d) "*warrant*" means a warrant issued under sub-section (1) of section 7 or sub-section (2) of section 12, as the case may be;
- (e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) have the meanings respectively assigned to them in that Code.

3. Application of Act.— (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Act shall apply to a country or place outside India as may be specified in the notification.

(2) If the notification under sub-section (1) relates to a country or place outside India with which a treaty has been entered into by India for the transfer of prisoners between that country and India, then, such notification shall also set out the full text of the said treaty and shall in no case remain in force longer than the period of the said treaty.

(3) If the Central Government is of the opinion that, with respect to a country or place outside India, provisions of this Act require to be modified to give effect to a treaty in relation to such country, it may, by notification in the Official Gazette, direct that the application of this Act to such country shall be subject to such conditions, exceptions and modifications specified in the notification.

4. Application for transfer by a prisoner.— Any prisoner who is a citizen of a contracting State may make an application to the Central Government for transfer of his custody from India to that contracting State :

Provided that if a prisoner is not able to make an application himself because of his ill-health, mental condition, old age or being a minor, then, the application may be made by any other person entitled to act on his behalf.

5. Consideration of request by Central Government.— (1) On receipt of the application under section 4, the Central Government shall direct the officer in charge of the prison, where the prisoner is confined, to furnish such information which in the opinion of that Government is relevant for the purpose of transfer.

(2) On receipt of the information under sub-section (1), if the Central Government is satisfied that—

- (a) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the prisoner;

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) अधिनियम, 2003

- (ख) *विहित* से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बने हुये नियमों से विहित;
- (ग) *कैदी (बंदी)* का तात्पर्य है किसी दण्ड न्यायालय जिसमें संविदा राज्यों में तत्समय प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत संस्थापित न्यायालय भी शामिल है, द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति;
- (घ) *प्राधिकार* से तात्पर्य है धारा 7 की उपधारा (1) या धारा 12 की उपधारा (2), जैसा भी मामला हो जारी किया गया कोई वारंट;
- (ङ) यहां प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनको परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 आफ 1974) में परिभाषित किया गया है, उस संहिता में उनको दिये गये अर्थों में यथास्थिति प्रयुक्त होंगे।

3. अधिनियम का लागू होना— (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत के बाहर किसी देश या स्थान में, जैसा कि विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जा सके, लागू होंगे।

(2) यदि, उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान से सम्बन्धित है जिससे भारत और उस देश के बीच बंदियों (कैदियों) के स्थानांतरण के लिये संधि हुई है, तब ऐसी विज्ञप्ति में कथित संधि का पूर्ण पाठ भी उपवर्णित होगा और किसी भी मामले में उस कथित संधि की अवधि से अधिक प्रभाव में नहीं रहेगी।

(3) यदि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर के देश या स्थान के बारे में ऐसे देश के सम्बन्ध में किसी संधि को प्रभावी बनाने के लिये इस अधिनियम के प्रावधानों का उपांतरण करना अपेक्षित है, तो शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसे देश में इस अधिनियम का लागू होना ऐसी शर्तों अपवादों एवं उपांतरणों जैसा कि विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अन्वय में होगा।

4. बंदी (कैदी) द्वारा स्थानांतरण के लिये प्रार्थना पत्र— कोई बेदी (कैदी) जो संविदा राज्य का नागरिक है, अपनी अभिरक्षा के भारत से उस संविदा सरकार में अंतरण हेतु केन्द्रीय सरकार को एक प्रार्थना पत्र दे सकता है:

परन्तु यह है कि यदि कोई बंदी (कैदी) उसकी अस्वस्थता, मानसिक स्थिति, वृद्धावस्था या अवयस्क होने के कारण स्वयं प्रार्थना-पत्र देने में समर्थ नहीं है, तब उसके ऐवज में कार्य करने को पात्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रार्थना पर विचार— (1) धारा 4 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार उस जेल के प्रभारी अधिकारी जहां बंदी (कैदी) कारावासित है, को निर्देश देगी कि वह ऐसी सूचना जो केन्द्रीय सरकार की राय में स्थानांतरण के प्रयोजन से सुसंगत है, दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर, यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाती है कि—

- (क) बंदी (कैदी) के विरुद्ध कोई जांच विचारण या कोई अन्य प्रक्रिया लम्बित नहीं है;

- (b) death penalty has not been awarded to the prisoner;
- (c) the prisoner has not been convicted for an offence under the ¹[military law]; and
- (d) transfer of custody of the prisoner to the contracting State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of India,

it shall pass an order for forwarding the application of the prisoner to the contracting State.

6. Comments of contracting State.— (1) The application of the prisoner shall be forwarded by the Central Government through prescribed means to the Government of the contracting State to deal with such application along with the following information, namely:—

- (a) a copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the prisoner;
- (b) the nature, duration and date of commencement of the sentence of the prisoner;
- (c) medical report or any other report regarding the antecedents and character of the prisoner, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement; and
- (d) any other information which the Central Government may consider necessary.

(2) Where any application of a prisoner forwarded by the Central Government has been accepted by the contracting State, the Central Government may seek from such contracting State, all or any of the following information or documents before taking decision to transfer the prisoner to the contracting State, namely:—

- (a) a statement or document indicating that the prisoner is a citizen of the contracting State;
- (b) a copy of the relevant law of the contracting State constituting the act or omission as the offence, on account of which the sentence has been passed in India, as if such act or omission was an offence under the law of that State;
- (c) a statement of the fact or any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence of the prisoner in the contracting State upon his transfer;
- (d) the willingness of the contracting State to accept the transfer of the prisoner and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the prisoner;
- (e) an undertaking to comply with the conditions, if any, specified by the Central Government; and
- (f) any other information or document which the Central Government may consider necessary.

1. Subs. by Act 6 of 2011, sec. 2, for "martial law" (w.e.f. 1.4.2011).

- (ख) बंदी (कैदी) को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया है;
- (ग) बंदी (कैदी) ¹[मिलिट्री कानून] के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं है; तथा
- (घ) बंदी (कैदी) की अभिरक्षा संविदा सरकार को स्थानांतरण करना भारत क संप्रभुता सुरक्षा या किसी अन्य हित के लिये हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं होगी।

तो वह संविदा सरकार को बंदी (कैदी) का प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने हेतु ओदश पारित करेगी

6. संविदा सरकार की टिप्पणी— (1) बंदी (कैदी) का प्रार्थना पत्र विहित साधनों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संविदा राज्य की सरकार को, ऐसे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने हेतु निम्न सूचना के साथ अग्रेषित किया जावेगा, अर्थात्—

- (क) निर्णय की एक प्रतिलिपी तथा कानून के सुसंगत प्रावधानों जिसके अधीन बंदी (कैदी) के विरुद्ध सजा पारित की गई है, की एक प्रति;
- (ख) बंदी (कैदी) की सजा की प्रकृति, समयावधि तथा उसके चालू होने की दिनांक;
- (ग) बंदी (कैदी) की पूर्वकालिक घटनाएँ एवं उसके चरित्र के सम्बन्ध में चिकित्सकीय प्रतिवेदन या अन्य कोई प्रतिवेदन, जहाँ उसके प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिये या उसके निरुद्ध या कैद में रखने की प्रकृति के विनिश्चय के लिये यह सुसंगत हो; तथा
- (घ) अन्य कोई सूचना जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(2) जहाँ, किसी बंदी (कैदी) का केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रेषित कोई प्रार्थना पत्र संविदा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, केन्द्रीय सरकार ऐसी संविदा सरकार से, सभी या निम्न में से कोई सूचना या दस्तावेजें संविदा सरकार को बंदी (कैदी) के स्थानांतरण का निर्णय लेने से पूर्व प्राप्त कर सकती है; अर्थात्—

- (क) एक कथन या दस्तावेज यह दर्शाते हुये कि बंदी (कैदी) उस संविदा सरकार का नागरिक है;
- (ख) संविदा सरकार के सुसंगत कानून की एक प्रतिलिपि, जो उसके उस कृत्य या चूक को अपराध गठित करता हो, जिसके लिये भारत में सजा पारित की गई है, जैसा कि ऐसा कृत्य या चूक उस राज्य के कानून के अधीन एक अपराध था;
- (ग) उसके स्थानांतरण होने पर संविदा सरकार में सजा की अवधि एवं उसको प्रभावी करने से सम्बन्धित तथ्य या कोई कानून या विनियम के बारे में एक विवरण;
- (घ) संविदा सरकार द्वारा बंदी (कैदी) के स्थानांतरण को स्वीकार करने के लिये राजी होना तथा बंदी (कैदी) की सजा का शेष रहा भाग शासित करने के लिये एक गारंटी;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, को पूरी करने के लिये गारंटी; तथा
- (च) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

1. अधिनियम सं. 6 आफ 2011, धारा 2 द्वारा "मार्शल कानून" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 1.4.2011 द्वारा लागू किया गया।

7. Consideration of request by Central Government.— (1) If the Central Government, on receipt of a communication from the concerned contracting State,—

- (a) expressing its willingness to accept the transfer of the prisoner; and
- (b) undertaking to comply with the conditions specified in the warrant,

is satisfied that the prisoner should be transferred to the said State, the Central Government may, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, issue a warrant in accordance with the provisions of section 8 in such form as may be prescribed.

(2) Where a warrant is issued under sub-section (1), the Central Government shall inform the contracting State accordingly and request that State to specify the person to whom and the place within India where custody of the prisoner shall be delivered.

8. Provision to issue warrant for transfer.— (1) The Central Government shall authorise an officer not below the rank of a Joint Secretary to a State Government, within the limits of whose jurisdiction the place of imprisonment of the prisoner is situated, to issue a warrant on behalf of the Central Government under sub-section (1) of section 7 directing the officer in charge of the prison therein to deliver the custody of the prisoner to the person authorised by the contracting State to which the prisoner is to be transferred, presenting such person a copy of the warrant together with all the records relating to the prisoner and the personal effects taken from the prisoner at the time of his admission in the prison.

(2) Upon the presentation of a warrant referred to in sub-section (1), the officer in charge of the prison shall forthwith comply with the warrant and obtain thereon the signature of the person to whom delivery of the prisoner, records and the personal effects relating to the prisoner to be removed from the prison is given.

(3) After delivery of the prisoner to the person authorised by the contracting State under sub-section (2), the officer in charge of the prison transferring the prisoner shall forward a copy of the warrant to the court which committed the prisoner to the prison, along with a statement that the prisoner has been delivered to the person authorised by the contracting State under sub-section (1).

(4) The delivery of the prisoner in compliance of the warrant issued under sub-section (1) shall discharge the officer in charge of the prison from the responsibility of keeping the prisoner in his custody.

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रार्थना पर विचार— (1) यदि केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित संविदा सरकार से संचार प्राप्त होने पर;

- (क) बंदी (कैदी) के स्थानांतरण को स्वीकार करने की अपनी इच्छानुकूलता व्यक्त करते हुये; एवं

- (ख) वारण्ट में विनिर्दिष्ट शर्तों की पालना करने की गारंटी देने पर

इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि बंदी (कैदी) को उस कथित राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिये, केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून में किसी बात के शामिल होते हुये भी, धारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जा सकेगा प्राधिकार (वारण्ट) जारी कर सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार (वारण्ट) जारी किया जाता है, केन्द्रीय सरकार तदनुसार संविदा सरकार को सूचित करेगी और उस राज्य को प्रार्थना करेगी कि वह उस व्यक्ति को तथा भारत के अन्दर उस स्थान को जहां बंदी (कैदी) की अभिरक्षा को परिदत्त किया जावेगा, विनिर्दिष्ट करे।

8. स्थानांतरण के लिये प्राधिकार (वारण्ट) जारी करने का प्रावधान— (1) केन्द्रीय सरकार, किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का नहीं होगा, को धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत करेगी कि वह केन्द्रीय सरकार की ओर से उस जेल (कारागार) के प्रभारी अधिकारी को जिसमें बंदी (कैदी) है को यह निर्देश देते हुये कि वह उस संविदा सरकार को जिसे बंदी (कैदी) स्थानांतरित किया जाना है उस बंदी (कैदी) को सौंपने हेतु प्राधिकार (वारण्ट) जारी कर सकेगा तथा ऐसे निर्देशित व्यक्ति को बंदी (कैदी) से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों तथा बंदी (कैदी) से उसके जेल में प्रवेश करते समय ली गई व्यक्तिगत सामग्रियों सहित प्राधिकार (वारण्ट) की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित प्राधिकारी (वारण्ट) के प्रस्तुतीकरण पर, जेल (कारागार) का प्रभारी अधिकारी तुरंत प्राधिकार (वारण्ट) की पालना करेगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिसे बंदी (कैदी) को परिदत्त किया गया है तथा बंदी (कैदी) से सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यक्तिगत वस्तुएं जो जेल से ली गई हैं, दी गई हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन संविदा सरकार से प्राधिकृत व्यक्ति को बंदी (कैदी) को सौंपने (परिदत्त करने) के पश्चात् उस जेल (कारावास) का प्रभारी अधिकारी, जो बंदी (कैदी) को स्थानांतरित कर रहा है, प्राधिकार (वारण्ट) की प्रतिलिपि उस न्यायालय को अग्रेषित करेगा, जिसने बंदी (कैदी) को जेल (कारागार) में सुपुर्दगी की है एवं इसके साथ एक विवरण होगा कि उपधारा (1) के अधीन संविदा सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को बंदी (कैदी) परिदत्त (सौंप) दिया गया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्राधिकार (वारण्ट) की अनुपालना में बंदी (कैदी) का परिदत्त किया जाना, जेल (कारागार) के प्रभारी अधिकारी को उसकी अभिरक्षा में बंदी (कैदी) को रखे जाने के उत्तरदायित्व से उन्मोचित कर देगा।

9. Operation of warrant and retaking prisoner.— It shall be lawful for the person authorised by the contracting State to whom the custody of a prisoner is delivered under the provisions of sub-section (2) of section 8 to receive and hold in custody such prisoner and to convey him out of India and if the prisoner escapes from such custody within India, the prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without undue delay deliver such prisoner to the officer in charge of the nearest police station and the prisoner so arrested shall be liable for committing an offence under section 224 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and shall also be liable for such sentence of imprisonment in India which he would have to undergo if the delivery of custody of such prisoner had not been made under section 8.

10. Transfer of record.— Where a prisoner is or is to be transferred to a contracting State under the provisions of this Act, the Central Government may requisition the records of any proceeding, including judicial proceedings relating to that prisoner from any court or office, and may direct that such records shall be sent to the Government of the contracting State.

11. Power of court and Central Government shall not be affected.— The transfer of a prisoner from India to a contracting State shall not affect the power of the court which passed the judgment to review its judgment and power of the Central Government or State Government to suspend, remit or commute the sentence in accordance with any law for the time being in force.

12. Transfer into India.— (1) The Central Government may accept the transfer of a prisoner, who is a citizen of India, from a contracting State wherein he is undergoing any sentence of imprisonment subject to such terms and conditions as may be agreed to between India and that State.

(2) If the Central Government accepts the request for a transfer under sub-section (1), then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it may issue a warrant to detain the prisoner in prison in accordance with the provisions of section 13 in such form as may be prescribed.

13. Determination of prison and issue of warrant for receiving transfer in India.— (1) The Central Government shall, in consultation with a State Government, determine the prison situated within the jurisdiction of such State Government where the prisoner with respect to whom a warrant has been issued under sub-section (2) of section 12, shall be lodged and the officer who shall receive and hold him in custody.

9. प्राधिकार (वारंट) का प्रचालन तथा बंदी को वापस लेना— संविदा सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसे धारा 8 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन बंदी (कैदी) की अभिरक्षा परिदत्त की गई है, के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे बंदी (कैदी) को प्राप्त करे और उसे अभिरक्षा में रखे और उसे भारत के बाहर ले जावे और यदि बंदी (कैदी) भारत के अन्दर ऐसी अभिरक्षा से बचकर निकल भागता है तो बंदी (कैदी) को बिना प्राधिकार (वारंट) के किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और वह व्यक्ति उस बंदी (कैदी) को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जायेगा जथा इस प्रकार गिरफ्तार किया गया बंदी (कैदी) भारतीय दण्ड संहिता (45 आफ 1860) की धारा 224 के अधीन अपराध कारित करने का दायी होगा एवं भारत में ऐसे कारावास की सजा जो उस बंदी (कैदी) को यदि धारा 8 के अधीन अभिरक्षा की सुपुर्दगी नहीं करने की स्थिति में दी जा सकती हो, का भी दायी होगा।

10. अभिलेख का हस्तांतरण— जहां कोई बंदी (कैदी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी संविदा सरकार को स्थानांतरित किया गया है या किया जाना है, केन्द्रीय सरकार किसी प्रक्रिया, जिसमें उस बंदी (कैदी) से संबंधित न्यायिक प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं, का अभिलेख किसी न्यायालय या कार्यालय में मांग कर सकती है और निर्देश दे सकती है कि ऐसे अभिलेख संविदा राज्य की सरकार को भेजा जायेगा।

11. न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की शक्ति का प्रभावित न होना— भारत से संविदा राज्य को बंदी (कैदी) का स्थानांतरण, न्यायालय जिसने निर्णय पारित किया है, के अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी सजा को निलम्बित करने, क्षमा करने या परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

12. भारत में स्थानांतरण— (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन, जो भारत एवं उस राज्य के बीच समझौते से तय हुई हो किसी बंदी (कैदी), जो भारत का नागरिक है, को उस संविदा सरकार से जहां वह कारावास की कोई सजा काट रहा है, से स्थानांतरण पर स्वीकार कर सकती है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा के अधीन स्थानांतरण के लिये प्रार्थना को स्वीकार करती है, तो तत्समय प्रभारी किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, वह धारा 13 के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जा सके बंदी (कैदी) को जेल (कारागार) में रोके रखने के लिये प्राधिकार (वारंट) जारी कर सकती है।

13. जेल (कारागार) का विनिश्चय और भारत में स्थानांतरण स्वीकार करने के लिये प्राधिकार (वारंट) का जारी किया जाना— (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श कर धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन बंदी (कैदी) जिसके बारे में एक प्राधिकार (वारंट) जारी किया गया है के सम्बन्ध में ऐसी राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, किसी जेल (कारावास) जहां उसे रखा जायेगा और अधिकारी जो उसे प्राप्त करेगा और उसे अभिरक्षा में रखेगा का विनिश्चय करेगी।

(2) The Central Government shall authorise any officer not below the rank of a Joint Secretary to that Government to issue a warrant under sub-section (2) of section 12 and to direct the officer referred to in sub-section (1) to receive and hold the prisoner, with respect to whom the warrant is issued, in custody.

(3) It shall be lawful for the officer referred to in sub-section (1) to receive and hold in custody any prisoner delivered to him under the direction made in the warrant issued under sub-section (2) of section 12 and to convey such prisoner to any prison determined under sub-section (1) for being dealt with in accordance with the said warrant and if the prisoner escapes from such custody, the prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without delay deliver such prisoner to the officer in charge of the nearest police station and the prisoner so arrested shall be liable for committing an offence under section 224 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and shall also be liable to be dealt with in accordance with the said warrant.

(4) A warrant under sub-section (2) of section 12 shall provide for—

- (a) the bringing of the prisoner into India from a contracting State or a place outside India;
- (b) the taking of such prisoner in any part of India being a place at which effect may be given to the provisions contained in the warrant;
- (c) the nature and duration of imprisonment of the prisoner in accordance with the terms and conditions referred to in sub-section (1) of section 12 and the imprisonment of such prisoner in India in such manner as may be contained in the warrant; and

(d) any other matter which may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the imprisonment of a prisoner in compliance with a warrant issued under sub-section (2) of section 12 shall be deemed to be imprisonment under a sentence of a court competent to pass such a sentence of imprisonment in India.

(6) If the sentence of imprisonment passed against the prisoner in the contracting State is incompatible with the Indian law as to its nature, duration of both, the Central Government may, by order, adapt the sentence of such punishment as to the nature, duration or both, as the case may be, as is compatible to the sentence of imprisonment provided for a similar offence had that offence been committed in India :

Provided that the sentence so adapted shall, as far as possible, correspond with the sentence imposed by the judgment of the contracting State to the prisoner and such adapted sentence shall not aggravate the punishment, by its nature, duration or both relating to the sentence imposed in the contracting State.

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी अधिकारी जो उस सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे की क्षेणी का नहीं होगा, को धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार (वारंट) जारी करने के लिये प्राधिकृत करेगी और उपधारा (1) में संदर्भित (वर्णित) अधिकारी को उस बंदी (कैदी) जिसके सम्बन्ध में प्राधिकार (वारंट) जारी किया गया है, को प्राप्त करने तथा अभिरक्षा में रखने का निर्देश देगी।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित (वर्णित) अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस किसी बंदी (कैदी) जिसे धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जारी प्राधिकार (वारंट) के निर्देश के अधीन परिदत्त किया गया है, को प्राप्त करे एवं अभिरक्षा में रखे तथा ऐसे बंदी (कैदी) को उस कथित प्राधिकार (वारंट) के अनुसरण में व्यवहार करे और यदि बंदी (कैदी) ऐसी अभिरक्षा से बच कर निकल भागता है तो बंदी (कैदी) किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्राधिकार (वारंट) के गिरफ्तार किया जा सकता है और वह ऐसा व्यक्ति ऐसे बंदी (कैदी) को बिना किसी असाधारण देरी के निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंपेगा और इस प्रकार गिरफ्तार बंदी (कैदी) भारतीय दण्ड संहिता (45 आफ 1860) की धारा 224 के अधीन किसी अपराध के कारित किये जाने के लिये दायी होगा और उस कथित प्राधिकार (वारंट) के अनुसरण में भी व्यवहार किये जाने हेतु दायी होगा।

(4) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन एक प्राधिकार (वारंट) के लिये प्रावधान करेगा कि—

- (क) बंदी (कैदी) को किसी संविदा सरकार या भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में लाने के लिये;
- (ख) ऐसे बंदी (कैदी) को भारत के किसी भाग में लेने, जो ऐसा स्थान हो सकेगा जिस पर प्राधिकार (वारंट) में सन्निहित प्रावधानों को प्रभावशाली बनाया जा सके;
- (ग) धारा 12 की उपधारा, (1) में संदर्भित शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसरण में बंदी (कैदी) की सजा की प्रकृति एवं अवधि तथा ऐसे बंदी (कैदी) का भारत में कारावास ऐसे तरीके से, जैसा कि प्राधिकार (वारंट) में सन्निहित हो सके; और
- (घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जा सके।

(5) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि (कानून) में किसी अन्य बात के होते हुये भी धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी प्राधिकार (वारंट) के अधीन किसी बंदी (कैदी) की सजा (कारावास), भारत में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसी सजा समझी जायेगी।

(6) यदि, संविदा सरकार में बंदी (कैदी) के विरुद्ध पारित कारावास की सजा, इसकी प्रकृति अवधि या दोनों के लिये भारतीय विधि (कानून) से असंगत हो, तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे दण्ड की सजा, इसकी प्रकृति, अवधि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार असंगत होने पर उसे भारत में कारित समान अपराध के लिये उपबंधित सजा के रूप में अनुकूलित कर सकती है :

परन्तु यह है कि इस प्रकार अनुकूलित सजा, जहां तक संभव हो सके, बंदी (कैदी) को संविदा सरकार के निर्णय में अधिरोपित सजा के समान हो और ऐसी अनुकूलित सजा, इसकी प्रकृति, अवधि या दोनों के लिये संविदा सरकार में अधिरोपित सजा से सम्बन्धित दण्ड की वृद्धि नहीं करेगी।

14. Power to make rules.— (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provision of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

- (a) the means through which an application may be forwarded under sub-section (1) of section 6;
- (b) the form in which a warrant may be issued under sub-section (1) of section 7;
- (c) the form in which a warrant may be issued under sub-section (2) of section 12; and
- (d) any other matter which may be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 13.

15. Laying of rules, etc.— Every notification issued under sub-section (1) and (3) of section 3 and every rule made under section 14 shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in marking any modification in the notification or rule or both Houses agree that the notification or rule should not be made, the notification or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or rule.

16. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

14. नियम बनाने की शक्ति— (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में, तथा पूर्वगामी शक्ति की सामान्यता: के पूर्वाग्रह बिना, ऐसे नियम निम्न सब या कोई मामले प्रावधित कर सकेंगे, अर्थात्—

- (क) साधन, जिनके माध्यम से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थनापत्र अग्रेषित किया जा सके;
- (ख) प्ररूप, जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार (वारंट) जारी किया जा सके;
- (ग) प्ररूप, जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार (वारंट) जारी किया जा सके; और
- (घ) कोई अन्य मामला, जो धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किया जा सके।

15. नियमों इत्यादि का रखा जाना— धारा 3 की उपधारायें (1) एवं (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति तथा धारा 14 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के जितना शीघ्र हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के सामने, जब इसका सत्र चालू हो, तीस दिनों के समग्र समय के लिये, जो एक सत्र या दो अथवा अधिक अनुवर्ती सत्रों का हो सकता है, और यदि सत्र तुरंत आने वाले सत्र या अनुवर्ती सत्रों जैसा कि उपरोक्त प्रकार कहा गया है, दोनों सदन विज्ञप्ति या नियम में कोई परिवर्द्धन करने के सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि विज्ञप्ति या नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो विज्ञप्ति या नियम ऐसे परिवर्द्धित रूप में या किसी प्रभाव का नहीं होना यथास्थिति उसके बाद में केवल तभी प्रभावी होगा, किन्तु वस्तुतः यह है कि कोई ऐसा परिवर्द्धन या निरस्तीकरण उस विज्ञप्ति या नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति— (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो और कठिनाई को दूर करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता हो।

परन्तु यह है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद कोई ऐसा आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के जहां तक संभव हो शीघ्र बाद, संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखा जायेगा।